फार्म नं. 11

फर्द अहकाम

नियम(26)

अज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाईमाधोपुर

उनवान

जायदा बनाम आसिफ वगैरहा

किस्म मुकदमाः—आरटीए 225 अपील संख्या 10 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इंनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
09.02.2024	अपील बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई, दर्ज रजिस्टर की जाये। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि प्रकरण मे प्रश्नगत खसरा संख्या 95, 96, 26, 94, 89, 151/2177, 250, 532, 536, 537, एवं 538 ग्राम करमोदा के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा नहीं करने, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये आदेश दिनांक 05.12.2023 को तहत न्यायालय द्वारा हम अपीलान्ट को एकपक्षीय बहस सुनकर पाबन्द किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट क पिता सुरफुद्दीन पुत्र लतीफ ने अपना सम्पूर्ण रजिस्टर्ड विय पत्र अपीलान्ट को कर दिया गया है जो आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है। किसी भी सहखातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का 30 दिवस की अवधि में निस्तारण करना तो दूर वरन् आगामी सुनवाई 22.02.2024 नियत की है जो आदेश 39 नियम 3 ए सीपीसी का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2023 का प्रचलन व प्रभाव स्थगित किया जाये। मेरे द्वारा तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2023 एवं अपील मीमो का अवलोकन किया गया तथा पाया कि प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र का अन्तिम निस्तारण 30 दिवस में किये जाने हेतु आदेश 39 नियम 3ए एवं जगदीश बनाम भोपालराम आरआरडी 2014 प्रकरण में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर प्रथम सुनवाई अवधि 2 माह से अधिक दिवसों की नियत की है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 99/2023 उनवानी आसिफ बनाम जरीना वगै0 पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 का प्रचलन, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार प्रकरण का 30 दिवस में पक्षकारान का सुनकर अन्तिम निर्णय प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलान्ट तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर में सुनवाई हेतु दिनांक को पेश हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम की जाये। 30/1/2024 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर	

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner